FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम–रुपनगढ, जिला–अजमेर

रमेशचन्द बनाम पूरण

मुकदमा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

नम्बर– 7 वर्ष:–2025

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री शांतिलाल ढेल ने अन्तर्गत धारा–212 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया गया। वकील प्रार्थी की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः ग्राम शिवनगर के ख0 न0 754/535 रकबा 1.2944 है0 की भूमि में अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक विवादित आराजी पर राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 28.03.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)	
3-25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. अप्रार्थी सं. 2,3 का P.O. साहब टूर/~~अवकाश~~ पर पधारे है। नोटिस तामील शुदा अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30-5-25 को पेश हो। अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस अदम तामील प्राप्त।	
30-5-25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब टूर/~~अवकाश~~ पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25-7-25 को पेश हो	
25-7-25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब टूर/~~अवकाश~~ पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17-10-25 को पेश हो	
25	प्रार्थी द्वारा पत्रावली तलब करने व प्रार्थना-पत्र विड्रो करने बाबत् प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी की पहचान वकील प्रार्थी द्वारा की गई। चूंकि मूल वाद जरिये विड्रोल खारिज किया जा चुका	रमेश

मु.नं. 7/25 रमेशचन्द/प्रेरण

है, इस कारण उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होगा

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)